

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित सरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं उक्त भूमि को लोनिविंग को हस्तान्तरित करने में समर्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी सरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया है आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान:- सिरकोट एवं परकोटी

दिनांक:- 21.06.2016

विनायक
प्रधान
ग्राम पंचायत सिरकोट
पो.ओ. सिरकोट, डिह.- गलड
जनपद- बागेश्वर

कृति
ग्राम पंचायत परकोटी
विठ्ठल-गलड (बागेश्वर)
ह०
वन पंचायत सिरकोट
ग्राम प्रधान/ सरपंच
जनपद- बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
की मुहर
ग्राम पंचायत सिरकोट
गलड- गलड (बागेश्वर)
वन पंचायत सिरकोट
जनपद- बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

M-C-93
वायत, रेताली
गलड- गलड (बागेश्वर)
सरपंच <ताली>

नोट- परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।